आकाशवाणी केन्द्र शिमला
03.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- राज्य चयन आयोग 24 विभिन्न पोस्ट कोड्स के तहत 4 सौ 46 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम जल्द करेगा घोषित।
- प्रदेश में पिछले डेढ़ वर्ष में चिट्टा व अन्य नशा तस्करों के 2 हज़ार 9 सौ से अधिक मामले दर्ज– नशे की ओवर डोज से 11 लोगों की मौत।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में लेखा एक्ट बनाने का किया ऐलान।
- भाजपा का प्रदेशव्यापी संगठन पर्व सदस्यता अभियान शुरू– एक दिन में देश में एक करोड़ लोगों ने पार्टी की सदस्यता की ग्रहण।

प्रश्नकाल

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जल्द ही 24 विभिन्न पोस्ट कोड्स के तहत 4 सौ 46 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्देश जारी किए गए है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड 817 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के एक सौ 62 पदों के लिए इस वर्ष 30 मार्च को कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जा चुका है और तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त मांग के अनुसार 12 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कला अध्यापक पोस्ट कोड 980 के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। उसकी सिफारिश के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। विधायक मलेंद्र राजन और दीपराज के संयुक्त सवाल के जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पिछले डेढ़ वर्ष में चिट्टा और अन्य नशा तस्करों के 2 हज़ार 9 सौ 47 मामले दर्ज किए गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे के ओवरडोज लेने से प्रदेश में 11 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध रूप से नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के माध्यम से अर्जित संपत्तियों के 17 मामलों को प्रस्तावित किया गया। इसमें से तीन मामलों में डिटेंशन आदेश पारित किए गए हैं। विधायक सतपाल सिंह सत्ती, बिक्रम सिंह और इंद्र दत्त लखनपाल के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस साल पहली जनवरी से 30 जून तक वनों में आग लगने की 2 हज़ार 7 सौ 8 घटनाएं घटी हैं। इन घटनाओं में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में फफूंद नाशक और कीटनाशक दवाइयों पर वर्ष 2024–25 में 36 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में फफूंद नाशक और कीटनाशक दवाइयों पर उपदान के लिए 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नालागढ़ में 2 सौ 65 एकड़ भूमि पर स्थापित किए जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में कोई भी तकनीकी स्वीकृतियां लंबित नहीं हैं। विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि इस पार्क में लगभग 65 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित एक सौ 26 करोड़ 19 लाख रुपए की पेयजल योजना का स्रोत बदल दिया है। उन्होंने कहा कि बड़सर क्षेत्र की जनता को पहले ब्यास नदी से पेयजल योजना प्रस्तावित थी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इस योजना का स्रोत बदल कर अब सतलुज नदी से कर दिया है। विधानसभा में आज विधायक बिक्रम ठाकुर द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि योजना का स्रोत बदलने से इस पेयजल योजना की लागत में 70 करोड़ रुपए की कमी आई है।

जीरो आवर

प्रदेश विधानसभा में कल 4 सितंबर से जीरो आवर शुरू होगा। प्रदेश विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका है जब विधानसभा सदस्यों को जीरो आवर की सुविधा मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज विधानसभा में यह घोषणा की। पठानिया ने कहा कि जीरो आवर आधे घंटे का होगा और यह प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जीरो आवर के दौरान सदस्य अपने–अपने मुद्दे संक्षेप में उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल एक मिनट या इससे कुछ अधिक समय मिलेगा और संबंधित मंत्री इस पर अपना पक्ष रखेंगे।

नियम–130

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में लेखा एक्ट बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के माध्यम से सरकार राज्य लेखा परीक्षा विभाग को जवाबदेह बनाएगी, ताकि यह विभाग समय पर निगमों–बोर्डों और अन्य स्वायत संस्थानों की ऑडिट रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक संजय रतन और कुलदीप राठौर द्वारा नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लेखा एक्ट लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई वित्तीय कुप्रबंधन नहीं है और वह इस मुद्दे पर कल विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रेजरी के सिस्टम को सही कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य सहकारी बैंक और लाभ में चल रहे निगमों व बोर्डों को इनकम टैक्स देने के बजाय अपने कर्मचारियों व अधिकारियों और निदेशक मंडल के सदस्यों के वेतन–भत्ते तथा मानदेय बढ़ाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सहकारी बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले फर्जी ऋणों पर भी अंकुश लगाएगी। विधायक, हंस राज, केवल सिंह पठानिया, विनोद सुलतानपुरी और विपिन सिंह परमार ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।

विधेयक पारित

प्रदेश में भवन निर्माण के नियम बदलने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा ने आज इस संबंध में हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर भवन निर्माण को विनियमित करने के लिए इस कानून में संशोधन किया है। गौरतलब है कि बीते साल और मौजूदा

मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदा से हो रहे जान माल के नुकसान को देखते हुए सरकार ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के साथ साथ नदी के तटों व विशेष क्षेत्रों में भवन निर्माण के मानकों को बदलने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन किया है। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज सदन में यह संशोधन विधेयक पेश किया।

विधेयक

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में प्रदेश के अयोग्य घोषित छह पूर्व विधायकों की पेंशन रोकने वाला संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधानसभा सदस्यों के भत्ते व पेंशन के लिए संशोधन विधेयक आज पर अब सदन में चर्चा होगी। इस संशोधन विधेयक में की गई सिफारिशों के लागू होने के बाद 2 पूर्व विधायकों गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद हो जाएगी, जबकि 4 अन्य पूर्व विधायकों धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी।

सदस्यता अभियान

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर से प्रदेशव्यापी संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राजीव बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भाजपा का सदस्य बना कर इस अभियान की शुरूआत की। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने पार्टी के टोल फ्री नंबर – 8 8 0 0 0 0 2 0 2 4 पर मिस्ड कॉल के जरिए फिर से भाजपा की सदस्य ली। इसके बाद, पार्टी के अन्य नेताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बिंदल में बताया कि एक दिन में देश में एक करोड़ लोगों ने मिस्ड कॉल कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आम नागरिक टोल फ्री नंबर, नमो एप और भाजपा की वेबसाईट से भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बिंदल ने कहा कि भाजपा एकमात्र दल है, जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना विस्तार कर रही है। कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी संबोधित किया।

मौसम

प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेंत्रों में आज दोपहर बाद से भारी वर्षा का क्रम जारी है। वर्षा से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है और कई स्थानों पर सड़क मार्ग भी अवरूद्ध है। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के पास लगातार भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण अवरूद्ध है, जिससे लोगों को तरांडा गांव होते हुए दो घंटे पैदल सफर करने को मजबूर होना पड रहा है। किन्नौर व स्पीति क्षेत्र को जोडने वाले इस सड़क मार्ग के अवरूद्ध होने से किसानों व बागवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है।